वित्तीय स्वीकृति

संख्या-42/2015/1830/52-3-2015-बजट(13)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 19 अगस्त, 2015

विषयः-अनुदान सूची पर लिये गये नये मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 0-1217/52-3-2015-□□(8)/2012 दिनांक 23.07.2015 □□□□□□ 75 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता अरबी फारसी □□□सों को अनुदान सूची लिये जाने हेतु इनके वेतनादि के लिए रू0 41,80,00,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष शासनादेश सं0-1132/52-3-15- □□□(13)/2015 दिनांक 12.6.2015 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से अनुदान सूची पर लिये गये 06 मदरसों में कार्यरत शिक्षकें/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु 0 02,76,40,000/- की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है तथा आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 39,03,60,000/- की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से अनुदान सूची पर लिये गये नये मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि हेतु रू0 35,13,54,000/-(रू0 पैतीस करोड़ तेरह लाख चैवन हजार मा) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) □□□□र से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 15.03.2015 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतनादि का भुगतान की धनराशि सीधे कोषागर के माध्यम से उनके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(6) मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु निर्गत शासनादेश की तिथि से ही मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्ष -01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-□ □□□□□□-11-146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को □□□□-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□□□□□□□ □□□□

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-930/□□-15, दिनांव 17 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-1830/52-3-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3- □□□ □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, l1□□□ □□, पर्यावरण भवन, □□0□□0 □ 0 काम्पलेक्स, ले□□ □□, नयी दिल्ली 110003

4- मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□, □□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) □□□□□-11

9- वित्त(संसाधन केन्द्रीय सहायत) □□□□□

10- कम्प्यूटर आपरेटर अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□

11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रामनगीना मौर्य)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in